रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

प्रभागो

भारत सरक्तान्य वितरण REGISTERED No. D.L.—33002/99 GOVERNMENT OF INDIA



EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923

[रा.स.स.क्षे.दि. सं. 253

No. 181]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सं. फा. 1/47/92-गृह (पुलिस-I)/स्था./4346.—दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की अधिनियम सं.-II की धारा 2 के खंड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस समन्वय की दिनांक 7 नवम्बर, 2000 को अधिसूचना संख्या फा. 1/47/92-गृह (पुलिस) स्था. का आंशिक अधिक्रमण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल निर्देश देते हैं तथा घोषित करते हैं कि इसके पश्चात् यहां इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों को पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग, नई दिल्ली पुलिस जिला, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से अलग किया जाता है तथा इस अधिकार क्षेत्र के लिए अलग पुलिस स्टेशन का गठन किया जाता है। उसे पुलिस स्टेशन भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2001 प्रगति मैदान, नई दिल्ली के नाम से जाना जायेगा।

यह 14 नवम्बर, 2001 से मेले की समाप्ति तक प्रभावी होगा।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2001 प्रगति मैदान, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न प्रकार से क्षेत्र होगा :—

उत्तर, पूर्व: तिलक पुल रेलवे कालोनी तथा भैरों रोड पर रेलवे पुल तक प्रदर्शनी मैदान को अलग करने वाली दीवार।

दक्षिण : रिंग रोड़/भैरों रोड जंक्शन जोड़कर मधुरा रोड़, भैरों रोड, जंक्शन (जोड़कर) तक इससे भैरों रोड पर पुराना किला के पीछे पार्किंग क्षेत्र

पश्चिम : मथुरा रोड/भैरों रोड जंक्शन (शामिल) से डब्ल्यू प्लाइंट (छोड़कर) तक तथा मथुरा रोड के फुटपाथ के दोनों तरफ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. एन. शर्मा, उप सचिव

(1)

3430 DG/2001

शुल्क आदेश से ज्ञात करेगा, तथा यदि शुल्क की ग्रांश में कुछ कमी हो, तो शुल्क के भुगतान के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगी तथा ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर समाहर्ता अपनी मोहर तथा हस्ताक्षरों से प्रलेख पर ऐसे भुगतान का एक प्रमाण पत्र अंकित करेगा।

- (3) समाहर्ता, किसी ऐसे प्रलेख को जिसका उल्लेख उप-धारा (1) में पहले नहीं किया गया है पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष की अविध के भीतर अपनी तरफ से कार्यवाई करके मंगा सकता है तथा इसकी कीमत या बिक्री मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, इस पर देय शुल्क की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जांच कर सकता है तथा उक्त जांच के पश्चात् यह इस पर विश्वास करने के कारण जानता है कि विलेख में उल्लिखत मूल्य या बिक्री ग्रशि को पूरा नहीं किया गया है तो यह उप-धारा (2) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार मूल्य या बिक्री राशि तथा उक्त शुल्क का निर्धारण कर सकता है तथा डयूटी पर कम लगाई गई राशि, यदि कोई है, डयूटी का भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दी जाएगी तथा इस डयूटी के भुगतान पर समाहर्ता अपनी मोहर तथा हस्ताक्षर से विलेख पर उक्त भुगतान का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा।
- (4) उप-धारा (2) उप-धारा (3) के अन्तर्गत समाहता के आदेश से संतप्त कोई व्यक्ति जिस जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तारित संपत्ति स्थित है उसमें अपील कर सकता है।
 - (5) उप-धारा (4) के अधीन जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है उसके प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जाएगी।
 - (6) जिला न्यायालय इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमावली में उल्लिखित रूप में अपील की सुनवाई तथा निपटान करेगी।

स्पष्टीकरण :-- इस अधिनियम की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी सम्मत्ति का बाजार मूल्य, उस मूल्य के अनुसार अनुमानित किया जाएगा, जो समाहर्ता या अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के अभिमत से ऐसी सम्मित्त से उतनी ग्रशि प्राप्त हो चुकी होगी या होगी, यदि यह हस्तांतरण पत्र, लेन-देन पत्र, उपहार पत्र, विभाजन पत्र, समझौता पत्र की निष्पादन तिथि को खुले बाजार में बेची जाएगी।

निरसन एवं बचाव

- भारतीय मुद्रांक (दिल्ली द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 1) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।
- 2. ऐसी अपील में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई कार्य या कोई की गई कार्यवाही उसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा। एस. आर. महेश्वरी, अवर सचिव (विधि एवं न्याय)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 2nd November, 2001

No. F.14(29)/LA-2001/896.—The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 2nd November, 2001 and is hereby published for general information:

THE INDIAN STAMP (DELHI SECOND AMENDMENT) ACT, 2001

(Delhi Act No. 12 of 2001)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 26th September, 2001).

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the National Capital Territory of Delhi. Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the republic of India as follows:--

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Second Amendment) Act, 2001.
 - (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on the Thirty First day of July, 2001.
- 2. (1) In the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi (hereinafter Amendment of section 27,-
- (a) in sub-section (1), after the words and brackets "the consideration (if any)", the words "and the market value" referred to as "the principal Act"), in section 27,shall be inserted;

- (b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :-
- "(3) In the case of instruments relating to land, chargeable with ad valorem duty, the Government may notify minimum rates for valuation of land.". Insertion of new section 47A.

- 3 In the Principal Act, after section 47, the following section shall be inserted, namely:— "Instruments under-valued how to be dealt with
- 47A. (1) If the Registering Officer, while registering any instrument transferring any property, has reason to believe that the value of the property or the consideration, as the case may be, has not been truly set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector for determination of the value or consideration, as
- (2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules made under this Act, by order, determine the value of the property or the consideration and the duty aforesaid; and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty and, on the payment of such duty, the Collector shall endorse a certificate of such payment on the instrument under his seal and signature.
- (3) The Collector may, suo motu within two years from the date of registration of any instrument not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of its value or consideration, as the case may be, and the duty payable thereon, and if after such examination, he has reason to believe that the value or consideration has not been truly set forth in the instrument, he may determine the value or consideration and the duty aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2), and the deficient amount of duty; if any, shal be payable the person liable to pay the duty and, on the payment of such duty, the Collector shall endorse a certificate of such payment on the instrument under his seal and signature.
- (4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may appeal to the District Court within whose jurisdiction the property transferred is situated.
- (5) An appeal under sub-section (4) shall be filed within thirty days of the date of the order sought to be appealed against
- (6) The District Court shall hear and dispose of the appeal in such manner as may be prescribed by rule under this

Exaplanation.— For the purpose of this section, value of any property shall be estimated to be the price which in the opinion of the Collector or the appellate authority, as the case may be, such property would have fetched, if sold in the open market on the date of execution of the instrument relating to the transfer of such property". Repeal and savings

- 4. (1) The Indian Stamp (Delhi Second Amendment) Ordinance, 2001 (1 of 2001) is hereby repealed.
- 2 Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act.

S.R. MAHESHWARI, Under Secy. (Law & Judcial)